न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्त

1. प्रवीण कुमार गुप्ता पुत्र श्री रुपाशंकर, विक्रेता, मैसर्स गुप्ता स्वीट् नाश्ता सेन्टर, सदर बाजार, सिरोही, जिला– सिरोही, स्थाई पताः–घोसा गली, सदर बाजार, सिरोही
2. करण गुप्ता पुत्र श्री रुपाशंकर, मालिक एवं प्रोपराईटर, मैसर्स गुप्ता स्वीट् नाश्ता सेन्टर, सदर बाजार, सिरोही, जिला– सिरोही, स्थाई पताः–घोसा गली, सदर बाजार, सिरोही

F.S.S.Act Case No.08/2026

''अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006''

–: निर्णय :– **दिनांक 24 मार्च, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा दिनांक 04–8–2025 को मैसर्स गुप्ता स्वीट् नाश्ता सेन्टर, सदर बाजार, सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता प्रवीण कुमार गुप्ता पुत्र श्री रुपाशंकर, निवासी–घोसा गली, सदर बाजार, सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) का नमूना संख्या S-2764, निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर के विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र क्रमांक:1691F/FSSA/2025 दिनांक 04–12–2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्तगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रतिवादी प्रवीण कुमार गुप्ता को नोटिस की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नही हुआ। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 18–3–2026 को प्रतिवादी करण गुप्ता पुत्र श्री रुपाशंकर ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर स्वयं की ओर से व प्रतिवादी प्रवीण कुमार गुप्ता पुत्र श्री रुपाशंकर की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रकरण में नियत तिथि को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी करण गुप्ता द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विधि अनुरुप निस्तारण किया जा रहा है।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 04–8–2025 को 04–45 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स गुप्ता स्वीटस् नाश्ता सेन्टर, सदर बाजार, सिरोही, जिला– सिरोही पर गये। वहां मौके पर विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी प्रवीण कुमार गुप्ता पुत्र श्री रुपाशंकर, निवासी– घोसा

......पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

गली, सदर बाजार, सिरोही उपस्थित मिले। श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स गुप्ता स्वीटस् नाश्ता सेन्टर, सदर बाजार, सिरोही की दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान के अन्दर एक एल्युमिनियम की ट्रे में लगभग 03 किलोग्राम खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) आम जन के विक्रय हेतु रखा हुआ पाया। आवेदक श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त दुकान में आम जन के बिक्री हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता प्रवीण कुमार गुप्ता पुत्र श्री रुपाशंकर को गवाह श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने उक्त मैसर्स गुप्ता स्वीटस् नाश्ता सेन्टर की दुकान के अन्दर एक एल्युमिनियम की ट्रे में आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) लगभग 03 किलोग्राम में से 02 किलोग्राम कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 600/– (रुपये छः सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता प्रवीण कुमार गुप्ता पुत्र श्री रुपाशंकर को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 02 किलोग्राम कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) को प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के समक्ष हिला मिलाकर एकरुप किया एवं चार साफ, सूखी व खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक बोतल में फार्मेलीन की 40–40 बूंदे डालकर प्रत्येक नमूना बोतल को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2764, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी प्रवीण कुमार गुप्ता पुत्र श्री रुपाशंकर व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) की चारों नमूना बोतलों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) की चारों नमूना बोतलों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता प्रवीण कुमार गुप्ता तथा उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता प्रवीण कुमार गुप्ता पुत्र श्री रुपाशंकर व उक्त गवाह तथा श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने दिनांक 06–8–2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, भावना, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी

......पेज तीन पर

न्यायालय प्रथम० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

(मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 04–8–2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा दिनांक 04–8–2025 को मैसर्स गुप्ता स्वीटस् नाश्ता सेन्टर, सदर बाजार, सिरोही, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता प्रवीण कुमार गुप्ता पुत्र श्री रुपाशंकर से खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) के नमूना संख्या S-2764 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1266/Act/ 2025/1266 दिनांक 13–8–2025 में खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीन से निर्मित) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा प्रतिवादी प्रवीण कुमार गुप्ता को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर उक्त जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में नमूनें के द्वितीय भाग की रेफरल लेब से जांच करवाने हेतु प्रपत्र 8 में अपील आवेदन प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिस पर प्रतिवादी प्रवीण कुमार गुप्ता के अपील आवेदन पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) द्वारा खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) (नमूना संख्या S-2764) के द्वितीय भाग को जांच हेतु निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर को भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर से प्राप्त विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र क्रमांक:1691F/FSSA/2025 दिनांक 04–12–2025 में खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) का नमूना संख्या S-2764, अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मैसर्स गुप्ता स्वीटस् नाश्ता सेन्टर, सदर बाजार, सिरोही का मालिक व प्रोपराईटर करण गुप्ता पुत्र श्री रुपाशंकर, निवासी– घोसा गली, सदर बाजार, सिरोही (प्रतिवादी संख्या 2) है। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी करण गुप्ता पुत्र श्री रुपाशंकर की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स गुप्ता स्वीटस् नाश्ता सेन्टर, सदर बाजार, सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता प्रवीण कुमार गुप्ता पुत्र श्री रुपाशंकर द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) (नमूना संख्या S-2764) के विक्रय हेतु प्रतिवादी करण गुप्ता पुत्र श्री रुपाशंकर, प्रोपराईटर, मैसर्स गुप्ता स्वीटस् नाश्ता सेन्टर, सदर बाजार, सिरोही, निवासी– घोसा गली, सदर बाजार, सिरोही, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी करण गुप्ता पुत्र श्री रुपाशंकर, प्रोपराईटर, मैसर्स गुप्ता स्वीटस् सेन्टर, सदर बाजार, सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24 मार्च, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.